

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रि. 2322 - P.B.M.13

निगरानी / / / 2013

श्रीमती लाजवती पत्नी स्व. श्री गुलाबराय

निवासी पु- न्यु 38 / 392 बैरागढ़ भोपाल (म.प्र.)

दीवाकर 2
दिनांक 20.6.13
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल

..... निगरानीकर्ता
(अनावेदक)

विरुद्ध

म.प्र. शासन जरिये

तहसीलदार, बैरागढ़, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.)

..... विपक्षी

(निगरानी म.प्र.भू.रा.स. 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत विरुद्ध तहसीलदार, बैरागढ़, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल के प्रकरण क्र. 03/ए68/2012-13 पारित अंतर्गत आदेशदिनांक 17-6-2013 से असंतुष्ट होकर अंदर अवधि प्रस्तुत)

(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2322-102/13

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p>	


25/5


अध्यक्ष